न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर0 के0 जायसवाल, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

(आर.सी.एम.एस.नम्बर 2020/00039)

मुकदमा नम्बर :– 13/2020

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी धौलपुर ———————— प्रार्थी।

बनाम

श्री लाल सिंह प्रोपराइटर ठाकुर मिष्ठान भण्डार तोप तिराहा धौलपुर, जाति ठाकुर निवासी एबीएम विद्यालय के सामने घण्टाघर रोड धौलपुर ————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1 – प्रार्थी की ओर से :– दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2 – अप्रार्थी की ओर से :– श्री हरीबावू गोयल एडवोकेट

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक 28.01..2021

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि शुद्व के लिये युद्व अभियान के दौरान दिनांक 26.10.2020 को ठाकुर मिष्ठान भण्डार तोप तिराहा धौलपुर के सामने स्थित गोदाम में घरैलू गैस सिलेण्डरों का व्यापारिक कार्यो में उपयोग किये जाने की जांच करने पहुचें । मौके पर ठाकुर मिष्ठान भण्डार के प्रोपराइटर श्री लाल सिंह का पुत्र श्री रामकुमार उम्र 30 वर्ष जाति ठाकुर निवासी एबीएम विद्यालय के सामने घण्टाघर रोड धौलपुर उपस्थित मिले जिन्होने उक्त गोदाम को श्री अनिल कुमार पुत्र मुरारीलाल, जाति वैश्य, निवासी गिर्राज कोलोनी धौलपुर से किराये पर लिया जाना बताया। मौके पर 2 भटटिया, 2 घरैलू गैस सिलेण्डरों से जुडी हुई पाई गई जिन पर मिठाई बनाने का कार्य किया जाना पाया गया। इसके साथ ही 2 घरैलू गैस सिलेण्डर 2 अन्य भट्ठटियों से जुडे हुए पाये गये तथा 3 घरैलू गैस सिलेण्डर गोदाम में रखे हुए पाये गाये। इस प्रकार उक्त गोदाम पर कुल 7 घरैलू गैस सिलेण्डर एंव 4 भट्ठटिया मिठाई बनाने के कार्य में उपयोग किये जाने हेतु उपलब्ध पायी गई। मौके पर श्री रामकुमार जाति ठाकुर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में लेने बावत पूछताछ की गयी । पूछताछ पर अप्रार्थी द्वारा संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया और न ही कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध कराये । मौके पर उक्त 7

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

घरैलू गैस सिलेण्डरों का वजन कराया गया जिसका कुल शुद्व गैस भार 56.95 किलोग्राम पाया गया। उक्त 7 घरैलू गैस सिलेण्डरों एक भट्टी मय नली को जब्त–ए सरकार किया जाकर अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखे जाने हेतु मैसर्स शिवेन गैस ऐजेन्सी धौलपुर के प्रतिनिधि श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री रविन्द्र सिंह जाति वधेल निवासी गुनपुर तहसील राजाखेडा की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री रामकुमार, ठाकुर मिष्ठान भण्डार तोप तिराहा धौलपुर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किये जाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (नियंत्रण) आदेश 2001 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त मौके पर पाये गये 7 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. एंव 1 भट्टी मय नली को राजसात करने के आदेश दिये जावे ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौका फर्द की प्रमाणित प्रति, फर्द अधिग्रहण, सुपुर्दगीनामा एवं तलपटटी, नजरी नक्शा की प्रति पेश की ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के समबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी की ओर से श्री हरीबावू गोयल एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि अप्रार्थी के कब्जे व उपस्थिति में कोई भी अवैध रूप से रखे गये गैस सिलेण्डर बरामद नहीं किये गये है। अप्रार्थी बाणिज्यक गैस सिलेण्डर का उपयोग ही अपने प्रतिष्ठान पर करता है उसने बाणिज्यिक गैस कनेक्शन ले रखा है जिसकी पास बुक का नम्बर 900077 है व उस पर गैस सिलेण्डर जारी होते है। अप्रार्थी के गोदाम से कोई गैस सिलेण्डर जब्त नहीं किये गये है जब्त शुदा गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से कोई सम्बध अप्रार्थी का नहीं है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्धान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की दुकान में 7 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं भट्टी पाये गये जिनको उपयोग अप्रार्थी व्यवसायिक कार्य में कर रहा था । जब अप्रार्थी से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो अप्रार्थी कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे सका ना ही कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत कर सका । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर 7 गैस सिलेण्डर (मय गैस 56.95 कि.ग्रा.) एंव 1 भट्टी मय नली जो मौके पर जब्त सरकार किये गये है को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी के कब्जे व उपस्थिति में कोई भी अवैध रूप से रखे गये गैस सिलेण्डर बरामद नहीं किये गये है। अप्रार्थी बाणिज्यक गैस सिलेण्डर का उपयोग ही अपने प्रतिष्ठान पर करता है । अप्रार्थी के गोदाम से कोई गैस सिलेण्डर जब्त नहीं किये गये है जब्त शुदा गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से कोई सम्बध अप्रार्थी का नहीं है।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के गोदाम का निरीक्षण किया । मौके पर गोदाम में 7 घेरलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. गैस 56.95 किलोग्राम एवं एक भट्टी मय नली पाये गये । जिन पर मिठाई बनाने का कार्य किया जाना पाया गया। दौराने पूछताछ एवं जॉच अप्रार्थी कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे सका ना ही कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किये व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का मिलना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन है। अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6–7 का उल्लघंन होना सिद्ध पाया जाता है। यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें। जो कानूनन सही नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (मय गैस 56.95 कि.ग्राम) एवं एक भट्टी मय नली को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर
(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर